राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1821/2023

अरशद अय्यूब खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2023
आदेश की दिनांक : 20.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 10.07.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम श्री जगदीश नागर के क्रम संख्या 8 के पश्चात् एवं श्री ताहिर पाटनवाला के ऊपर अंकित किया जावे और उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर यदि कोई पदोन्नति की जाती है तो उक्त क्रमांक अनुसार अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 07.10.2016 के द्वारा मृतक आश्रित नियमों के तहत अनुकम्पात्मक रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर की गई थी। 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर अपीलार्थी को जिला कलक्टर, कोटा के आदेश दिनांक 12.02.2021 के द्वारा दिनांक 10.10.2018 से स्थायी कर दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 02.09.2021 द्वारा स्वयं की प्रार्थना पर अंतर जिला स्थानान्तरण कार्यालय एसीएम दिगोद, कोटा से जिला कलक्टर कार्यालय झालावाड़ स्थानान्तरण कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वयं की प्रार्थना पर अंतर जिला स्थानान्तरण पर कार्मिक की वरिष्ठता उसके द्वारा धारित कैडर के अनुसार नवीन जिले में पदस्थापित कार्मिकों के नीचे वरिष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची

दिनांक 06.04.2022 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 95 पर अस्थाई कार्मिकों के नीचे अंकित किया गया। जबकि अपीलार्थी को पूर्व आदेशानुसार स्थाई किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में स्थाई कार्मिक क्रमांक 24 श्री जगदीश नागर के नीचे अंकित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा उक्त वरियता सूची में आपत्ति करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 23.05.2023 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेन का निस्तारण किए बिना ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 17.05.2023 को अंतरिम अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 61 पर अंकित है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.05.2023 को जारी वरिष्ठता सूची के संबंध में पुनः दिनांक 23.05.2023 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 10.10.2016 को किए जाने के पश्चात् 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण करने के बाद जिला कलक्टर, कोटा के आदेश दिनांक 12.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 10.10.2018 को स्थाई किया जा चुका था। इसलिए वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम स्थाई कार्मिक क्रम संख्या 8 श्री जगदीश नागर के स्थान के नीचे अंकित करते हुए वरिष्ठता प्रदान की जावे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रतिवेदन दिनांक 23.05.2023 का निस्तारण किए बिना प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.07.2023 जारी कर दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 61 पर है। जबकि नियमानुसार अपीलार्थी का नाम उक्त वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 8 पर अंकित श्री जगदीश नागर के नीचे क्रम संख्या 8ए पर अंकित किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर निकट भविष्य में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति करने जा रहा है, जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 10.07.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम श्री जगदीश नागर के क्रम संख्या 8 के पश्चात् एवं श्री ताहिर पाटनवाला के ऊपर अंकित किया जावे और उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर यदि कोई पदोन्नति की जाती है तो उक्त क्रमांक अनुसार अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 07.10.2016 के द्वारा मृतक आश्रित नियमों के तहत अनुकम्पात्मक रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर की गई थी। 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.02.2021 के द्वारा दिनांक 10.10.2018 से स्थायी कर दिया गया। अपीलार्थी को स्वयं की प्रार्थना पर अंतर जिला स्थानान्तरण कार्यालय एसीएम दिगोद, कोटा से जिला कलक्टर कार्यालय झालावाड़ स्थानान्तरण कर दिया गया। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार स्वयं की प्रार्थना पर अंतर जिला स्थानान्तरण पर कार्मिक की वरिष्ठता उसके द्वारा धारित कैडर के अनुसार नवीन जिले में पदस्थापित कार्मिकों के नीचे वरिष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए। चूंकि अपीलार्थी उक्त आदेशानुसार स्थाई कार्मिक है और सेवा नियमों के तहत अपीलार्थी को अस्थाई कार्मिकों से नीचे वरिष्ठता प्रदान किया जाना नियमानुरूप प्रकट नहीं होता है। अभ्यावेदन दिनांक 23.05.2023 (अनुलग्नक–10) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 23.05.2023 को वरिष्ठता के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदिनांक तक उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी के उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए उसकी वरिष्ठता का उचित निर्धारण करने उपरांत ही डीपीसी आयोजित की जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

अतः अपील उपरोक्त निर्देशानुसार ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य